

20.11.24

पञ्जावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी  
के न्यायालय द्वारा क्लक-क्लक कर कई बार आवाज लगाई  
गई बावजूद इन्फेक्ट कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ है। वादी स्वयं  
न्यायालय समाप्ति तक उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में तामिल  
हेतु अंतिम अवसर पूर्व में दिया जा चुका है। लिखते जाहिर  
है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा चलाना नहीं  
चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम्य  
हान्य अदम्य पैरवी में बारिज किया जाता है। निर्णय सेट्टा  
मुनामा गया। प्रकरण फौजल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डबी)  
DAS